झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग — 2772 -

अधिसूचना

राँची, दिनांक–24/04/17

सं०–SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017.......... शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत) प्रारंभ की गई है। झारखंड राज्य के वर्त्तमान में 07 शहर सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत तथा अन्य शहरों के लिए GIS Based मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त योजना अमृत के तहत् मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की समीक्षा राज्य स्तर पर करने हेतु एक परामर्शी मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति (Consultancy Evaluation and Review Committee (CERC)) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :–

क्र०	पदनाम	विभाग	उत्तरदायित्व / भूमिका
1	निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण,	नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर निवेशक, TCPO	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
4	निदेशक (परियोजना), जुडको	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	नगरआयुक्त / उपाध्यक्ष / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी	संबंधित शहरी निकाय / प्राधिकार	सदस्य
6	तकनीकी पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्यून)	पथ निर्माण विभाग	सदस्य
7	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	सदस्य
8	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	ऊर्जा विभाग	सदस्य
9	उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
10	TCPO, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
11	नगर निवेशक, TCPO	नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य–सचिव

2. उपरोक्त कमिटी अमृत शहर के साथ–साथ अन्य शहरों के लिए तैयार कराये जा रहे GIS Based मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की समीक्षा कर, संबंधित परामर्शी को दिशा–निर्देश जारी करेगी। मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की स्वीकृति / परिवर्त्तन से संबंधित समस्त कार्य विभाग स्तर उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

3. समिति, प्रत्येक समीक्षा बैठक के 03 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन / कार्यवाही विभाग को समर्पित करेगी। समीक्षा के दौरान परामर्शी एवं निकाय को दिये जाने वाले दिशा–निर्देश स्पष्ट रूप से समीक्षा कार्यवाही में अंकित किए जायेगें।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

22.4.17

(अरुण कुमार सिंह)

2772 सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017......... राँची, दिनांक–24/04/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, मुख्यालय (स्था0)–सह–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास विभाग को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.4.17

2772 सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–SUDA/AMRUT/CERC-GIS-MP/04/2017......... राँची, दिनांक–24/04/17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (नगर विकास एवं आवास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, SUDA/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी संयुक्त सचिव/नगर निवेशक/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि0/नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सभी कार्यपालक/सभी विशेष पदाधिकारी, सभी नगर निकाय, झारखंड/समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.4.17

सरकार के प्रधान सचिव